न्यायालयः– उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :– चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 122/2020 प्रा.पत्र

श्रीमति देवप्रभा पुरोहित पत्नि स्व0 जितेन्द्र पुरोहित जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

—प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

1– नरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2– पेरोकार सरकार उपस्थित

::निर्णय:: दिनांक 24.08.2022

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेडा प0ह0 निम्बाहेडा–ए तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 649 के आराजी नं0 1973 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि हैं जिसके पूराने आराजी नं0 2214/1485 रकबा 7 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही हैं वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया द्वारा पुर्व खातेदार राजेश कुमार पिता अभयकुमार माण्डोत जैन निवासी निम्बाहेडा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18/09/2017 से कय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से उक्त आराजीयात प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य में चल आ रही हैं। वादग्रस्त आराजीयात पुराने राजस्व नक्षा ट्रेस मे तरमीम नही थी वादग्रस्त भूमि जिसके पुराने आराजी नं0 2214/1485 जो मुल आराजी नं0 1485 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा थी पूर्व खातेदारो द्वारा आपसी सहमति बटवारे से अलग अलग खातेदारो के अलग अलग खातेदारी मे दर्ज हुई। पूर्व नक्शा ट्रेस में उक्त आराजीयात की तरमीम नहीं थी। सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से वर्तमान नक्षा ट्रेस मे उक्त आराजीयात गलत रुप से तरमीम कर दिया है तथा नवीन नक्षा ट्रेस को छोटा कर संकरा कर दिया है तथा रकबा प्रार्थीया की आराजी का रकबा बरारी करने

पर वर्तमान नक्शा ट्रेस मे प्रार्थीया का रकबा कम आता है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीया के मौके पर काबिज अनुसार, एवं राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का निम्बाहेडा की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में वादग्रस्त आराजीयात रेकार्ड जमाबंदी में जिसके नये खाता संख्या 316 के नये आराजी नं0 1973 रकबा 0.0900 हे0 जिसके साबिक आराजी नं0 2214/1485 रकबा 7 बिस्वा स्थित हैं। मिलान क्षैत्रफल अनुसार सही हैं उक्त भूमि का नक्षा क्षैत्रफल जमाबंदी के रकबा के मुकाबले कम अंकित किया हुआ है जबकि मौके पर साबिक रकबा 7 बिस्वा के नवीन सेटलमेन्ट द्वारा क्षैत्रफल 0.0900 हे0 बनाया गया हैं, जो प्रार्थीया द्वारा क्रय की गई थी, उससे पूर्व जरिये नामांतरण 549 से खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से मूल आराजी नं0 1485 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का विभाजन कर साबिक आराजी नं0 2214/1485 रकबा 7 बिस्वा तथा 2207/1485 रकबा 7 बिस्वा और 2238/1485 रकबा 6 बिस्वा और 1485 मीन रकबा 7 बिस्वा इस प्रकार विभाजन होकर नये सेटलमेन्ट द्वारा उक्त नम्बरो का आराजी नं0 1973 रकबा 0.0900 हे0 तथा आराजी नं0 1974 रकबा 0.0900 हेक्टैयर आराजी नं0 1975 रकबा 0.0700 और आराजी नं0 1985 रकबा 0.0900 हे0 बनाया गया हैं।

इसलिए नक्षे मे आराजी नं0 1974 रकबा 0.0900 हे0 मे से 0.0200 हे0 एवं आराजी नं0 1975 रकबा 0.0700हे0 मेसे 0.0200हे0 मात्र नक्षे में तरमीम कम करके प्रार्थीया के नक्षे मे अंकित किये जाने से जमाबंदी के मुकाबले नक्षा पूर्ण होने से सही होगा प्रार्थीया का मौके पर कब्जा जमाबंदी अनुसार 0.09000हे0 अनुसार नाप सही हैं और उक्त तरमीम किये जाने में विपक्षी को की प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं।

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो को जमाबंदी मिलान क्षैत्रफल नवीन नक्षा ट्रेस व पुराना नक्ष ट्रेस पेश किया है और तहसीलदार निम्बाहेडा के जवाब व पटवारी हल्का निम्बाहेडा ए द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थीया की आराजी नं0 1973 रकबा 0.0900 हेक्टेयर नक्षे मे रकबे के मुकाबले कम दर्शाया गया है जबकि आराजी नं0 1975 रकबा 0.0700 हेक्टेयर नक्षे मे अधिक अंकित किया गया है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। नक्शे में आराजी नं0 1974 रकबा 0.0900 मे से 0.0200हे0 एवं आराजी नं0 1975 रकबा 0.0700 में से 0.0200 हे0 मात्र नक्शे मे तरमीम कम करके प्रार्थीया के नवीन नक्शे मे अंकित किये जाने से जमाबंदी के मुकाबले नक्षा पूर्ण होने से सही होगा, प्रार्थीया का मौके पर कब्जा जमाबंदी के अनुसार 0.0900 हे0 का नाप अनुसार सही हैं। इसलिए प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार नवीन नक्शे ट्रेस में अंकन दुरुस्त कर तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा